न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण क्रमांक /2018 जिला–छतरपुर

मुन्नालाल तनय मोतीलाल अहिरवार
निवासी– मऊ (सहानिया) तहसील नौगांव
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन कलेक्टर जिला छतरपुर (म.प्र.)

-- अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नौगांव जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 72/2017–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.06.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1 यहकि, तहसीलदार नौगांव द्वारा आवेदक के विरूद्ध प्रकरण संस्थित कर कारण बताओ सूचना पत्र इस आशय का दिया। कि पटवारी हल्का मऊ ग्राम मऊ की शासकीय भूमि खसरा नं. 2641 के अंश भाग 30×30 वर्गफीट पर (मकान) बनाकर अतिक्रमण किया गया है, तहसीलदार द्वारा दिये गये उक्त सूचना पत्र का आवेदक द्वारा जबाव प्रस्तुत किया एवं बताया कि उसके द्वारा किसी भी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि उपरोक्त भूमि आवेदक को ग्राम पंचायत मऊ द्वारा पट्टा दिनांक 31.01.1995 से दिया गया था। इस प्रकार उपरोक्त भूमि अतिक्रमण की भूमि है बल्कि उसके स्वत्व एवं अधिकारी की भूमि है। जिसके संबंध में तहसीलदार द्वारा अपने पूर्व प्रकरण क्रमांक 146/अ–68/05–06 में पारित आदेश दिनांक 16.01.2007 से आवेदक के विरूद्ध अतिक्रमण के प्रकरण को समाप्त किया गया है। और भूमि को अतिक्रमण की भूमि नही माना गया है, इस संबंध में अन्य न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है एवं वर्तमान में उपरोक्त भूमि के संबंध में प्रकरण अपर आयुक्त न्यायालय सागर के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है ऐसी स्थिति में आवेदक को अतिक्रमांक नहीं माना जा सकता। इस

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4639/2018/छतरपुर/भू.रा. मुन्नालाल विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-10-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक मुन्नालाल की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 72/2017-18 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-06-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 18-07-2018 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी । प्रकरण में कायमी (Admission) पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।"	

4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-12-2018 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

2/2

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

16.10.18

(आर.के. जैन)
सदस्य